	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	माघ 4, शुक्रवार, *शाके* 1941–जनवरी 24, 2020 *Magha 4, Friday, Saka 1941–January 24, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 24, 2020

संख्या प. 16 (07) **गृह-9/**2018 :-यतः राज्य सरकार यह समझती है कि जिला पाली के ग्राम हरिपुर तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 2471 रकबा 1795.5 वर्ग मीटर में स्थित इण्डियन ऑयल कॉ. लि. के एम.ओ.वी-30 स्टेशन को जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पाली के ग्राम हरिपुर तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 2471 रकबा 1795.5 वर्ग मीटर में स्थित इण्डियन ऑयल कॉ. लि. के एम.ओ.वी-30 स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्व स्थान घोषित करती है।

<u>क्षेत्र का विवरण</u>

क्र.स.	नाम तहसील	ग्राम	भूमि ख.नं.	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	जिला पाली तहसील रायपुर	हरिपुर	खसरा संख्या 2471	रकबा 1795.5 वर्ग मीटर	खसरा संख्या 2470 हरिपुर से मोहराखुर्द जाने वाली सडक	खसरा संख्या 2471 के सह खातेदारों की भूमि	खसरा संख्या 2471 रकबा 1795.5 वर्ग मीटर	खसरा नम्बर 2471 के सह खातेदारों की भूमि

राज्यपाल की आज्ञा से,
पी.सी. बेरवाल,
विशिष्ठ शासन सचिव,
गृह विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।